भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3084

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बांध पुनर्वास, सुरक्षा संपरीक्षा और डीआरआईपी का कार्यान्वयन

3084. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्री जुगल किशोरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण I, II और III के अंतर्गत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें जम्मू-कश्मीर सहित राज्य-वार कितने बांधों को शामिल किया गया है तथा इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे किन्हीं बांधों की पहचान की है जो संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं, पुराने हैं अथवा उच्च जोखिम वाले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे बांधों के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बांध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) और बांध सुरक्षा के लिए राज्य समितियों की वर्तमान स्थिति क्या है और किन-किन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इन निकायों का अभी तक पूर्ण रूप से प्रचालन किया जाना शेष है; और

(ङ) क्या सरकार का पुराने या संकटग्रस्त बांधों के पुनर्वास के लिए किसी अतिरिक्त सहायता तंत्र का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भारत सरकार, बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ देश भर में चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार के लिए, बाह्य वित्त पोषण के साथ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) को कार्यान्वित कर रही है। विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वर्ष 2012-2021 के दौरान कार्यान्वित ड्रिप चरण- I कार्यक्रम के अंतर्गत, सात राज्यों में

कुल 223 मौजूदा बांधों का पुनर्वास किया गया था। ड्रिप-I स्कीम के अंतर्गत पुनर्वासित बांधों का राज्य/एजेंसी-वार विवरण और किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

भारत सरकार ने, ड्रिप चरण-I कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, ड्रिप चरण- II और III स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 10 वर्ष अवधि (वर्ष 2021-2031) की है, जिसे दो चरणों में लागू किया जा रहा है। इसमें बाह्य वित्तपोषण के साथ प्रत्येक चरण 6 वर्ष की अवधि का है जिसमें 2 वर्ष अतिव्यापी हैं। इस स्कीम में 10,211 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ तीन केंद्रीय एजेंसियों और 19 राज्यों में फैले 736 बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ड्रिप चरण-II, 12 अक्टूबर 2021 से चालू है, जिसे विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है। चरण- II के लिए वित्तीय परिव्यय 5,107 करोड़ रूपए है, जबकि तीसरे चरण के लिए 5,104 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

वर्तमान में चल रही ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत, 4,548 करोड़ रूपए की लागत से 162 बांधों के पुनर्वास प्रस्तावों (जिसे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्प्लेट, पीएसटी कहा जाता है) को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। विभिन्न कार्यान्वयन राज्यों/एजेंसियों द्वारा 2776 करोड़ रूपए की संविदाएं प्रदान की गई हैं। ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत 30 नवंबर 2025 तक कुल व्यय 1931 करोड़ रूपए है। 31 बांधों पर प्रमुख वास्तविक पुनर्वास कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य/एजेंसी-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

इसके साथ-साथ, ड्रिप-II और III स्कीम के लिए मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर इस स्कीम में शामिल नहीं है।

(ख) और (ग): बांधों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व, जिसमें इसके प्रचालन और रखरखाव शामिल हैं, मुख्य रूप से बांध मालिकों का होता है। वर्तमान में, बांध मालिक समय-समय पर अपने बांधों के निरीक्षण के संदर्भ में सामान्यत: मानसून पूर्व और मानसून पश्चात सुरक्षा संपरीक्षा करते हैं। राज्यों ने अपने बांधों की व्यापक संपरीक्षा के लिए बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल का भी गठन किया है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुपालन के अनुसार, बांध के स्वामित्व वाली एजेंसियों ने वर्ष 2025 के लिए लगभग 6524 और 6543 बांधों के क्रमशः मानसून पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षण की सूचना दी है।

मानसून-पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, बांधों को मरम्मत/रखरखाव की तात्कालिकता के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है। श्रेणी-III के लिए मामूली उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है जिन्हें वर्ष के दौरान ठीक किया जा सकता है। श्रेणी-II प्रमुख कमियों को दर्शाती है जिनमें त्वरित उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है और श्रेणी-I सबसे गंभीर कमियों को दर्शाती है, जिन पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वे बाँध भंग होने का कारण बन सकती हैं।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 के पूर्व-मानसून निरीक्षण रिपोर्टों में यह संकेत मिलता है कि दो विनिर्दिष्ट बांधों को श्रेणी-I में वर्गीकृत किया

गया है। ये तेलंगाना में मेडिगड्डा बैराज और उत्तर प्रदेश में लोअर खजुरी बांध हैं। इसके अतिरिक्त, 216 बांधों को श्रेणी-II में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणी-II बांधों के राज्य-वार वितरण का ब्योरा अनुलग्नक-**III** में किया गया है। अधिकांश राज्य, मुख्यतः चल रही ड्रिप-II योजना के माध्यम से, संकटग्रस्त बांधों के लिए सुधार और पुनर्वास उपायों को लागू करने के लिए स्थापित वित्तीय व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। ड्रिप फ्रेमवर्क के बाहर के बांधों के लिए, समर्पित राज्य संसाधनों के माध्यम से पुनर्वास पहलों में सहायता की जाती है।

इसके अलावा, ड्रिप चरण II और III के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गठित डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल (डीएसआरपी) के माध्यम से बाँधों का विस्तृत सुरक्षा मूल्यांकन किया जा रहा है। अब तक, 274 बाँधों के डीएसआरपी निरीक्षण पूर्ण हो चुके हैं, जो इन बाँधों से संबंधित सुरक्षा चिंताओं की व्यापक समीक्षा प्रदान करते हैं।

डीएसआरपी निरीक्षणों और समीक्षाओं के परिणामों के आधार पर, 30 नवंबर 2025 तक, ड्रिप-II योजना के तहत कुल 162 बाँधों के पुनर्वास प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(घ): अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, सभी 31 बांध-स्वामित्व वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्य बांध सुरक्षा समितियों (एससीडीएस) का गठन किया है और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) स्थापित किए हैं। ये संस्थागत तंत्र पूर्ण रूप से कार्यशील हैं, जिससे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बांध सुरक्षा उपायों की सम्यक् निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

(ङ) और (च): बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में यह प्रावधान किया गया है कि "विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, बांध के रखरखाव और मरम्मत के लिए तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त और विशिष्ट निधियों का निर्धारण करेगा।" चूंकि भारत में बांध का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, इसलिए नियमित संचालन, रखरखाव (ओएंडएम) और पुनर्वास के लिए आवश्यक निधियां संबंधित एजेंसियों द्वारा उनके वार्षिक बजट के माध्यम से आवंटित की जाती हैं।

वर्तमान में, भारत में प्रमुख बांध पुनर्वास गतिविधियाँ मुख्य रूप से वाह्य सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप), चरण-II और III के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'बांध पुनर्वास, सुरक्षा संपरीक्षा और डीआरआईपी का कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3084 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

ड्रिप चरण-**I** के तहत बांधों और निर्माण कार्य पूर्ण करने की लागत का राज्य/एजेंसी-वार ब्यौरा

कार्यान्वयन एजेंसी	बांध	निर्माण कार्य पूर्ण करने की लागत (करोड़ रुपए में)
मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी	25	146
ओडिशा डब्ल्यूआरडी	26	336
तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	69	506
तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम	20	163
केरल डब्ल्यूआरडी	16	271
केरल एसईबी	37	124
केंद्रीय जल आयोग	--	201
कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	22	494
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड	5	226
दामोदर घाटी निगम	3	100
कुल	223	2567

*****

अनुलग्नक-।।

'बांध पुनर्वास, सुरक्षा संपरीक्षा और डीआरआईपी का कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3084 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

ड्रिप-**II** के अंतर्गत प्रगति का राज्य/एजेंसी-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/एजेंसी	ड्रिप-**II** अंतर्गत वर्तमान आवंटन	पीएसटी अनुमोदित बांधों की संख्या	पीएसटी अनुमोदित लागत	प्रदत्त संविदा	किया गया व्यय	ऐसे बांधों की संख्या जहां प्रमुख पुनर्वास कार्य पूर्ण हो चुके हैं
		(करोड़ रुपए में)	(संख्या)	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	(संख्या)
1	आंध्र प्रदेश डब्ल्यूआरडी	0	0	0	0	0	0
2	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	70	2	45.06	0	0	0
3	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	170	2	123.53	66.68	51.91	0
4	दामोदर घाटी निगम	44	3	11.71	1.74	1.17	0
5	गोवा डब्ल्यूआरडी	58	1	28.24	0	0	0
6	गुजरात डब्ल्यूआरडी	350	5	311.19	297.15	229.39	0
7	झारखंड डब्ल्यूआरडी	0	0	0	0	0	0
8	कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	699	10	507.03	307.42	268.71	3
9क	केरल एसईबीएल	90	15	76.2	59	57.84	2
9ख	केरल डब्ल्यूआरडी	130	6	87.38	66.4	45.15	0
10	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	10	261.80	213.1	65.87	0
11	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	98	2	153.82	143.57	59.71	0
12	एमईपीजीसीएल	150	4	280	145.45	71.90	0

13	मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी	186	8	124.55	57.76	30.18	0
14	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	100	13	916.45	38.95	36.55	3
15	पंजाब डब्ल्यूआरडी	71	7	24.57	0	0.36	0
16	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	15	516.16	164.15	163.86	8
17क	तमिलनाडु जीईसीएल	260	21	176.68	138.45	148.32	9
17ख	तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	510	7	319.38	266.68	277.35	0
18	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	100	2	5.08	0	0	0
19	उत्तराखंड जेवीएनएल	300	6	274	252.95	206.55	4
20	उत्तर प्रदेश आई एंड डब्ल्यूआरडी	354	18	186.9	53.87	21.05	1
21	पश्चिम बंगाल आई एंड डब्ल्यूडी	200	5	119	64.76	54.33	1
22	केंद्रीय जल आयोग	285	-		247	141.02	0
23	ड्रिप-I का स्पिलओवर				191.16		-
	कुल	5107	162	4548.73	2776.24	1931.22	31

*****

अनुलग्नक-**III**

'बांध पुनर्वास, सुरक्षा संपरीक्षा और डीआरआईपी का कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3084 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

श्रेणी-**II** बांधों का राज्य-वार वितरण

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 2025 के मानसून-पूर्व निरीक्षण के आधार पर श्रेणी-**II** बांधों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	1
2	आंध्र प्रदेश	7
3	बिहार	1
4	छत्तीसगढ	24
5	गुजरात	6
6	हरियाणा	2
7	झारखंड	10
8	कर्नाटक	3
9	केरल	9
10	महाराष्ट्र	50
11	मेघालय	6
12	मणिपुर	3
13	मध्य प्रदेश	24
14	नागालैंड	1
15	ओडिशा	4
16	पंजाब	4
17	राजस्थान	1
18	सिक्किम	1
19	तेलंगाना	18
20	तमिलनाडु	19
21	उत्तराखंड	5
22	उत्तर प्रदेश	12
23	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	216

*****